

## प्रेस नोट दिनांक 30.06.2021

### इटावा पुलिस द्वारा 02 महिला चोरों को यात्रा के दौरान यात्रियों से चोरी किये हुए आभूषण, नकदी, आधार कार्ड व पैन कार्ड सहित किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं चोरों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ० बृजेश कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना बकेवर पुलिस द्वारा 02 महिला चोरों को यात्रा के दौरान यात्रियों से चोरी किये हुए आभूषण, नकदी, आधार कार्ड व पैन कार्ड सहित गिरफ्तार किया गया ।

#### गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 30.06.2021 को थाना बकेवर पुलिस क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत भ्रमणशील थी । भ्रमण के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ऑटो एवं बसों में यात्रियों के साथ बैठकर यात्रियों के सामान की चोरी करने वाली दो महिलाएं भरथना ओवर ब्रिज के पास चोरी के सामान को लेकर बेचने के उद्देश्य से ग्राहकों/ यात्रियों से बात कर रही हैं । सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताये गये स्थान पर पहुंचकर देखा गया तो वहां पर दो महिलाएं कुछ अन्य लोगों से बात करती हुई दिखाई दीं जिन्हे संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा पकड लिया गया तथा उनकी तलाशी लेने पर उनके कब्जे से पर्याप्त मात्रा में सफेद व पीली धातु के आभूषण, नकदी व आधारकार्ड, पैनकार्ड बरामद किये गये ।

**पुलिस पूछताछ-** पुलिस टीम द्वारा पकडी गई दोनों महिलाओं से कडाई से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि हम ऑटो एवं बसों में सबारियों के पास बैठकर उनको अपने विश्वास/ झांसे में लेकर उनके सामान की चोरी करती हैं । पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में गिरफ्तार महिलाओं द्वारा यात्रियों से की गई निम्नलिखित चोरी की घटनाएं कारित करना स्वीकार किया-

1. गिरफ्तार महिलाओं द्वारा दिनांक 20.06.2021 को एनएच2 पर ऑटो में अपने बच्चे सहित बैठी एक महिला के साथ बैठकर उसके बैग से सोने व चांदी के आभूषण चोरी किये थे । जिसके संबंध में वादी कृष्ण पाल सिंह पुत्र अभिलाख सिंह निवासी सुभाष नगर कस्बा व थाना बकेवर द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना बकेवर पर मु०अ०सं० 299/21 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात महिलाएं अभियोग पंजीकृत किया गया ।
2. गिरफ्तार महिलाओं द्वारा दिनांक 28.06.2021 को एनएच2 पर ऑटो में बैठे एक दंपति के साथ ऑटो में बैठकर वादिया के हैंड बैग से सोने चांदी के आभूषण, रूपये एवं आधार कार्ड व पैन कार्ड की चोरी की गई थी । जिसके संबंध में थाना बकेवर पर वादिया गीताबेन पत्नी ज्ञानबाबू निवासी सैदपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना बकेवर पर मु०अ०सं० 300/21 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात महिला अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

#### गिरफ्तार अभियुक्ता-

1. ज्योति पत्नी राहुल नि० कस्बा व थाना कोसी जनपद मथुरा ।
2. रोशनी पत्नी सोनू नि० कस्बा व थाना बुहाना जनपद झुनझुनू राजस्थान ।

**बरामदगी-**

1. 03 जोडी पायल सफेद धातु
2. 07 जोडी बिछवा सफेद धातु
3. 01 जोडी कान के कुंडल पीली धातु
4. 500 रू0 नगद
5. 02 आधार कार्ड
6. 02 पैन कार्ड

**पुलिस टीम-** श्री राजेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बकेवर, व0उ0नि0 संजय कुमार दुबे, उ0नि0 नितिन कुमार, उ0नि0 अजय कुमार, का0 सूरज कुमार, का0 आनंद कुमार, म0का0 लक्ष्मी, म0का0 कविता ।

सोशल मीडिया सेल  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
इटावा